कार्यालय नगर पंचायत, नोखा, जिला- रोहतास

पत्रांक................दिनांक.................................

प्रेशक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, नोखा

सेवा में,

महालेखाकार, (ले0प0)
बिहार,पटना

विशय :— अंकेक्षण प्रतिवेदन का लंबित अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

प्रसंग :— पत्रांक —175 दिनांक 10.07.2015।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि नगर पंचायत नोखा से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 440/2013—14 की कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित इस पत्र के समर्पित किया जा रहा है।

कृप्या प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0 —

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, नोखा

ज्ञापांक— 519 दिनांक— 12/07/16

प्रतिलिपि :— सरकार के विशेष सचिव,नगर विकास एवं आवास विभाग,बिहार,पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, नोखा

y letter-166

कार्यालय– नगर पंचायत, नोखा, जिला– रोहतास

अंकेक्षण संख्या :– 440/2013–14 | अवधि वर्ष– 2011–12 से 2012–13 तक

क्रम संख्या	कंडिका संख्या	आपत्ति का विवरण	आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत नोखा का जवाब	साक्ष्य की छायाप्रति क0......से ......तक	अंकेक्षण अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	3	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	परिशिष्ट –2 का प्रतिवेदन संलग्न पृष्ट संख्या 1 पर अंकित है।	1	
2	5	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन	पूर्व के आपतियों का निराकरण के पश्चात लेखा परीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तथा भविष्य में उठाई जाने वाली आपत्तियों का निराकरण कर लेखा परिक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।		
3	7	अधिदृश्य (आय–व्यय)	1. रोकड़बही का मासिक/त्रिमासिक/वार्षिक अग्रेणित किया जाता है ।		
			2. कोषागार पास बुक का संधारण किया जाता है। साक्ष्य के रूप में कोषागार पास बुक की छाया प्रति संलग्न है। कंडिका निरस्त किया जा सकता है।(साक्ष्य संलग्न)	2–4	
	8	**अंतशेष**			
		लेखा परीक्षा टिप्पणी,			
		किन परिस्थितियों में कोषागार में पी.एल. खाता नहीं खोला गया यह स्पष्ट नही किया गया	पीएल खाता के लिए समय–समय पर विभाग एवं महालेखाकार से पत्राचार किया गया था परन्तु स्पष्ट निर्देश के अभाव में अंकेक्षित वित्तीय वर्ष तक पीएल खाता नहीं खोला जा सका था।वित्तीय 2013–14 में पी0एल0 खाता खोला जा चुका है तथा पीएल खाता के माध्यम से ही आय–व्यय किया जाता है। अतः कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।		

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत नोखा

(८९)

	अपने श्रोतों से आय एवं अन्य प्राप्तियों जिनके लिए सरकार का निर्देश नहीं प्राप्त था, कोषागार में न रखकर अलग बैंक खातों से लेन–देन किया गया । यह किस प्रावधान अथवा सक्षम स्वीकृति से किया गया।	कोषागार में नगर पंचायत का पी0एल0 खाता नहीं होने के कारण बैंक खातो से कार्य हित में आवश्यक लेन–देन किया गया। कोषागार खाता 2013–14 से संचालित है साक्ष्य के रूप में महालेखाकार कार्यालय बिहार पत्रांक डिपोजीट पीएल 273(2012–13) दिनांक 13.02.2013 संलग्न है। अतः कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।	5–7	
	एक मद हेतु एक से अधिक खातों का परिचालन किन परिस्थितियों में किया गया।	एक मद हेतु एक से अधिक खातो का संचालन पूर्व से ही किया जाता था तथा मदवार खाता खोलने का निदेश समय–समय पर विभाग द्वारा किया जाता रहा है। साक्ष्य के रूप में विभागीय आदेश की छाया प्रति संलग्न है।	8–14	
	खाता सं.8156 किस बैंक में एवं किस मद से संबंधित है यह सपष्ट नहीं था।	खाता सं0–8156 पूर्व से ही कैस बुक में दर्शायी जा रही है परन्तु इस संबंध में किसी भी प्रकार का वर्तमान मे जानकारी नहीं मिल रहा है। इस खाते की राशि (501.10 पेसे) को बोर्ड में पारित प्रस्ताव के आलेक में प्रशासनिक मद से स्थानातरीत कर दिया जाएगा। अतः अंकेक्षण टिप्पणी से मुक्त किया जा सकता है।		
	रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक में अन्तर पाया गया।	गलत अकेक्षण के कारण रोकड बही एवं पास बुक में अंतर पाया गया । रोकड बही की विवरणी एवं पास बुक की छाया प्रति के साथ संलग्न की जाती है। अतः कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।।		

13.7.16

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत नोखा

12/7/16

4		बैंक अंतशेष रोकड़बही के अंतशेष से कम पाया गया जो वित्तीय अनियमितताएं के द्योतक है। इसकी जॉच कर समाधानित करने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा आपति के आलोक में बताया गया कि पी.एल. खाता खोलने हेतु सरकार से पत्राचार किया गया। खाता खोलने के लिए कार्यवाही की जा रही है सुझावों के अनुसार खाता को कम किया जा रहा है। अनुपालन तर्कसंगत नहीं है क्योकि सरकार से पत्राचार की जानकारी आवश्यक दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और नही ही रोकड़ बही से बैंक के मामले में समाधानित विवरणी दिया गया।	अकेक्षण दल के गलती के कारण बैक अतशेष एवं रोकड बही अंतशेष से कम पाया गया साक्ष्य के रूप में रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक की छायप्रति तथा पीएल खाता खोलने संबंधी पत्राचार की छाया प्रति संलग्न की जा रही है।	15–38	
	8 (1) (क)	द्वादश वित्त आयोग	वितिय वर्ष 20111–12 में कुल 76044 रू0 कटौती के पश्चात संबंधित राजस्व शिर्ष में जमा कर दिया गया है तथा वितिय वर्ष 2012–13 में 18429 रू संबंधित शिर्ष में जमा किया गया है जबकि लेखा परिक्षा में इससे कम राशि दर्शाया गया हैं अतः अधिक राशि जमा की गई है। उक्त वितिय वर्ष 2011–12 रोकड़ बहीं में करों की रूप में निम्न प्रकार की कटौती की गई है । विक्री कर–19151, श्रम कर–4789, रॉयल्टी–5043, सुरक्षित जमा राशि–23940, डिटेन्शन–12272, आय कर–10849 एवं वितिय वर्ष 2012–13 में विक्री कर–4474, श्रम कर–865, रॉयल्टी–4756, सुरक्षित जमा राशि–3625, डिटेन्शन–2749, आय कर–1960 की कटौती की गई है। अतः कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।	39–59	
		ख.			

A.K. 12.7.16

(8)

क्र0.स0	चेक सं0/तिथि	राशि	आपति का निराकरण	
1	457622/21.02.2012	11983	चक सं0–457622 दिनांक 11.10.12 से श्री कृष्ण मुरारी राम सफाई जमादार को डीजल क्रय हेतु मो0–3989.00रुपये का भुगतान किया गया है। जिसका अभिश्रव एवं कैस बुक की छाया प्रति साक्ष्य के रूप में संलग्न की जाती हैं। अतः कंडिका को निरस्त किया जाए।	
8 (2)	457629/31.02.2012	1881	उक्त चेक न0. 457629/15.12.12 से श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह को योजना सं0 3/10–11 में कार्य के विरूद्व 1881 रू0 का चेक निर्गत किया गया हैं साक्ष्य के रूप में अभिश्रव एवं कैस बुक की छाया प्रति संलग्न की जाती है। अतः कंडिका को निरस्त किया जाएं।	
ग.	ग. ठोस अपशिष्ट योजना मद ई गर्वेनेंस	ठोस अपसिस्ट योजना मद में वितिय वर्ष 2005–06 से 2012–13 तक कुल 1269940 रू0 एवं ई0गर्वेनेन्स मद में 43573 रू0 कुल मिलाकर मात्र 1313313 रू0ही खर्च किया गया है। लेकिन आपति में 1321000 रू0 दर्शायी गई हैं कुल खर्च राशि 1313313 रू0 का अभिश्रव की छाया प्रति प्रस्तुत की जाती है। अतः कंडिका का निरस्त किया जा सकता है।	39–59	
8 (2) क	प्रशासनिक व्यय मद	लेखा परीक्षा में प्रशासनिक व्यय मद में दर्शाये गए अग्रिम वसुली के रूप में दर्शायी गई 2648 रू0 की राशि सत्यनारायण प्रसाद कर, दरोगा के द्वारा संबंधित शिर्ष में जमा कर दिया गया है। साक्ष्य के रूप में बैंक में जमा राशि का अधकट्टी की छाया प्रति संलग्न कर भेजा रहा है। अतः कंडिका का निरस्त किया जा सकता है।	60	
ख	अप्रस्तुत अभिश्रव	क्रमांक 1 से 135 तक का पारित अभिश्रव राशि मो0 250025 रू0 का अभिश्रव एवं कैस बुक की छाया प्रति संलग्न की जाती है। कंडिका के इस आपति को निरस्त किया जा सकता है।	61–269	

12.7.16
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत नोखा

	8 (3)	योजना कार्य में व्यवहृत लघु खनिजों के क्रय विपत्रों से की गई कटौती को संबंधित राजस्व शीर्ष में कम जमा किया जाना। (1736966.00)	कर के रूप में कटौती की गई कुल राशि 1739966 रू0 संबंधित शीर्ष में राशि जमा कर दिया गया है।साक्ष्य के रूप में अभिश्रव की छाया प्रति संलग्न की जा रही है । अतः कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।	270–283	
	8(4)	निधि पोखरघाट का निर्माण	1. निविदाओं के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया था।जिसमें 2011–12 में 729027 रू0 का व्यय के रूप में अंकेक्षण आपती दर्शायी गई ह। जबकि उक्त वितिय वर्ष में 751792 रू0 की राशि व्यय की गई थी । जिसके साक्ष्य के रूप में बिल, मापी पुस्त एवं कैस बुक की छाया प्रति संलंग्न कर प्रस्तुत की जारहीं है। (पेज न0 10 से 13 तक) 2. निविदाओं के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया था जिसमें 2012–13 में व्यय की गई राशि की रूप में 459478 रू0 अंकेक्षण आपति कें अन्तर्गत दर्ज की गई है जो गलत है उक्त वितिय वर्ष में 458931 रू0 की राशि ही व्यय की गई थी जिसमें साक्ष्य के रूप में बिल, मापी पुस्त एवं कैस बुक की छाया प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की जा रहीं है। (पेज न0 14 से 18)। अतः कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।	284–296	
5	9	सरकारी अनुदान	अनुदान पंजी का संधारण किया जा रहा है। साक्ष्य के रूप में पंजी का संधारण कर पंजी का छाया प्रति संलग्न कर भेजा जा रहा हैं। कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।		
6	10	वार्षिक लेखा	भविष्य में मद वार प्रापतियों एवं व्ययों की दर्शानेवाला वार्षिक लेखा तैयार कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाएगा । अतः कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।		

12.7.16

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत नोखा

7	11	बजट	वर्तमान के वितिय वर्ष में बजट यथा 2015–16 एवं 16–17 का बजट प्राक्कलन तैयार कर समयावधी के अंदर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ भेजा गया था तथा भविष्य में भी समयावधी के अंदर बजट तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। साक्ष्य के रूप में बजट संबंधी भेजे गये पत्र की छाया प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। अतः कंडिका को निरस्त किया जाऐ।	297–298	
8	12	लेखा समिति	शीघ्र ही लेखा समिति का गठन कर लिया जाएगा तथा समिति द्वारा लेखाओं का परिक्षण किया जाएगा। अतः कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।		
9	13 (क)	भवन कर का अधिरोपण नहीं होना	भवन कर का अधिरोपण 01.04.2009 से किया जा चुका है तथा आगे भविष्य में नये/ छुटे हुए भवनो का कारारोपन किया जाएगा।साक्ष्य के रूप में कर अधिरोपण संबंधी प्रति संलग्न है । अतः कंडिका को निरस्त. किया जा सकता है।		
	13 (ख)	होल्डिंग का पुनरीक्षण एवं सड़को का वर्गिकरण नहीं किया जाना।	होल्डिग का पुनरीक्षण किया जा चुका है। सड़को का वर्गिकरण तीन भागो में किया गया है जिसकी प्रति संलग्न की जाती है अतः कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।	299–300	
10	14	मांग एवं वसुली	सुचनार्थ। अतः कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।		
	14 (क)	विलोपित	सुचनार्थ। अतः कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।		
	14 (ख)	विलोपित	सुचनार्थ। अतः कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।		
	14 (ग)	संचार/मोबाईल टावरो का अपंजीकृत रहना एवं राशि 0. 66 लाख का बकाया।	नगर पंचायत क्षेत्रा अन्तर्गत कुल 9 टावरों पर 31.3.13 तक 0.66 लाख रू0 की बकाया राशि दर्शाया गया हैं जिसमें वसूली की जा चुकी है शेष राशि की वसूली भविष्य में शिघ्र ही कर ली जाएगी। साक्ष्य के रूप में कैस बुक एवं प्राप्त चेक की छाया प्रति संलग्न कर भेजी जा रहीं अतः कंडिका को निरस्त किया जाए।	301–303	

नगर कार्यपालक पदाधिकारी

11	15 (क)	प्राप्त राजस्व संबंधित शीर्ष में जमा नहीं राशि 6.72 लाख रू0	संबंधित राशि बैंक में जमा की गई है। अतः कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।	304–314	
	15 (ख)	सरकार के उचित शीर्ष में मुद्रांक शुल्क जमा नहीं	1. वर्ष 12–13 के सैरोतो के बंदोबस्ती के लिए आम इस्तेहार का प्रकाशन स्थानीय सामाचार पत्र में किया गया था जिसकी छाया प्रति संलग्न की जा रही है। 2. वर्ष 11–12 के लिए बस–ट्रक स्टैड बंदोबस्ती से वसूल की गई राशि में से कुल राशि (मुद्रांक सहीत) में कम पाये गए 21 रू0 की राशि को संबंधित शीर्ष में जमा कर दिया गया है। बैंक में जमा किए गए बैंक पर्ची की छाया पर्ची संलग्न की जा रहीं है । 3. वितीय वर्ष 11–12, 12–13 एवं 13–14 अंतर्गत विभिन्न सैरातो की बंदोबस्ती से मुदांक शुल्क के रूप में कुल राशि 60394 रू0 की वसूली की जा चुकी हैं जो नगर पंचायत निधि में जमा है। शीघ्र हीं इसे संबंधित शिर्ष मे जमा कर दी जाएगी। अतः कंडिका निरस्त किया जा सकता है।	315	
	15 (ग)	होल्डिंग टैक्स को विलम्ब से जमा करने पर शास्ती की कम वसुली राशि 5237.00 रू0	लेखा परिक्षा के दौरान उठाऐ गए होल्डिग टैक्स में विलम्ब से कम वसूली राशि के संबंध में वसूली हेतु कार्यवायी की जा रही है तथा वर्तमान समय में विलम्ब से होल्डिग टैक्स जमा करने वाले लोगो से शास्ति की राशि भी वसूली की जा रही है। साक्ष्य के रूप में शास्ति वसूले गये रसिद की छाया प्रति संलग्न कर भेजी जा रहीं है । अतः कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।	316–319	
12	16	दैनिक मजदुरी पर अप्राधिकृत व्यय (रू0– 7.69 लाख)	वितिय वर्ष 2011–12 ,12–13 में नगर पंचायत में सफाई कर्मियों के अभाव में दैनिक मजदुरी पर रखकर जनहित में नगर की साफ–सफाई करायी जाती थी उक्त वर्षो में दैनिक मजदूरी के आधार पर नगर की साफ–सफाई कार्य करने का प्रस्ताव नगर निकाय बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में सफाई कार्य कराया गया था। ताकि लोगो को सफाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सुके साक्ष्य के रूप में निकाय बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव की छाया प्रति संलग्न कर भेजी जा रहीं है अतः कंडिका को विलोपित किया जाए।	320–330	

12.7.16
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत नोखा

13	17	विज्ञापन मद पर अनियम्ति व्यय (रू0–1.84 लाख)	निदेश के आलोक में अनुपालन किया जायेगा		
14	18	विलोपित	सुचनार्थ। अतः कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।		
15	19	विलोपित	सुचनार्थ। अतः कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।		
16	20	निधि का अवरोधन	वितिय 11–12,12–13 में लेखा परिक्षा के दौरान कंडिका संख्या 20 के आपति के संबंध में कहना है कि विभिन्न मदों में यथा एकादश वित आयोग, राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम, प्रशासनिक भवन, पोखर घाट निर्माण, नगर प्रबंधक मानदेय की राशि व्यय/स्थानांतरित की जा चुकी है शेष दो मदो यथा नगर विकास / शुलभ शौचालय में प्राप्त राशि निधि में संरक्षित है तथा शुलभ शौचालय मद में दर्शायी गई 1326950 रू0 में 480117 रू0 व्यय हो चुका है तथा शेष रू0 952438 नियमानुसार सरकार के निदेश के आलोक में व्यय कर दिया जाएगा। साथ ही नगर विकास मद में अवशेष राशि को खर्च कर दिया जाएगा। व्यय किए गए विभिन्न मंदों के साक्ष्य के रूप में कैस बुक की छाया प्रति संलग्न की जाती है अतः उपरोक्त आपति कंडिका को निरस्त किया जाय।	331–357	
17	21	संवेदक द्वारा निर्धारित समय में कार्य पुरा नहीं करने के कारण शास्ति राशि रू0–336401.00	आपति के रूप में दर्शायी गई कंडिका संख्या 21 के आलोक में सभी संवेदको से विलमविता की राशि की वसूली के लिए नोटिस के माध्यम से वसूली की कार्यवायी की जारही हैं साक्ष्य के रूप में नोटिस की छाया प्रति संलग्न। कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।	358–403	
18	22	एम बी अनुपलब्ध	कार्यालय में उपलब्ध है।		
19	23	बिल्डिंग बायलोज के विरूद्ध नक्सा पारित करना	बिल्डिंग बायलोज 2014 के अनुरुप नक्सा पारित किया जा रहा है।		
20	24	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में अनियमितता	भविष्य के लिए निदेश अनुपालनार्थ। कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।		

नगर कार्यपालक पदाधिकारी

21	25	बी आर जी एफ	सुचनार्थ। अतः कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।		
	25 (क)	विलोपित	सुचनार्थ। अतः कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।		
	25 (ख)	विलोपित	सुचनार्थ। अतः कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।		
	25 (ग)	बिना प्राक्कलन के अनियमित व्यय राशि रू0– 1.56 लाख	भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति नहीं की जायेगी।		
22	26	विलोपित	सुचनार्थ। अतः कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।		
23	27	अग्रिम	अग्रिम राशि का समायोजन किया जा चुका है। अग्रिम पंजी की छायाप्रति संलग्न की जाती है।		
24	29	लेखा परीक्षा का परिणाम	कोई मंतब्य नहीं		

12.7.16

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत